निगरानी 2424 -II-15

न्यायालय श्रीमान् पीठासीन न्यायाधीश महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प कोर्ट रीवा (म0प्र0)

238

पारसनाथ तिवारी तनय श्री शिवसेवक राम, उम्र– 75 वर्ष, पेशा– कृषि एवं पेंशनभोगी, निवासी ग्राम खटखरी, तह0 हनुमना जिला रीवा (म0प्र0) ....*निगरानीकर्ता*

बनाम

मंगलेश्वर कुशवाहा तनय धनपति कुशवाहा, उम्र– लगभग 78 वर्ष, पेशा– खेती, निवासी ग्राम खटखरी, तह0 हनुमना जिला–रीवा (म0प्र0) ....*गैर निगरानीकर्ता*

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् राजस्व निरीक्षक वृत्त खटखरी, तह0 हनुमना, जिला–रीवा (म0प्र0) के प्र.क. 41/अ–12/13–14 में पारित आदेश दिनांक 21.12.2014

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

श्री ... द्वारा आज दिनांक 03-7-15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक........... मान्यवर
रजिस्टर्ड पोस्ट ... आज
दिनांक.......... को प्राप्त

<u>निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं:–</u>

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश विधि एवं प्रकिया के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2– यह कि गैर निगरानीकर्ता द्वारा एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 129 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959ई0 के तहत बावत् किये जाने सीमांकन भूमि खसरा क. 228/0.089, 229/0.028, 230/0.016, 231/0.024, 245/0.348, 246/0.255 किता 06 का न्यायालय श्रीमान् राजस्व निरीक्षक, सर्किल खटखरी, तह0 हनुमना, जिला रीवा (म0प्र0) के समक्ष दिया था जिसमें सूचना पत्र में दिनांक 24.06.2014 को प्रथम दिन जब सीमांकन करना प्रारम्भ किया तब निकरानीकर्ता के हस्ताक्षर करवाये गये तथा उस दिन सिर्फ आबादी वाले खसरा कमांक 228, 229, 230, 231 की नाप कराई गई किन्तु कर्ण नहीं मिलाया गया तथा खसरा कमांक 245, 246 का सीमांकन नहीं किया गया। इसके बाद दूसरे दिन सीमांकन करने को कहकर राजस्व निरीक्षक व पटवारी चले गये।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2424–दो/2015 जिला रीवा

पारसनाथ विरूद्ध मंगलेश्वर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश AFR.	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05–8–2016	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्कों पर में यही तर्क दौहराये जो निगरानी मेमो में अंकित है। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। निगरानी मेमो एवं उसके संलग्न आक्षेपित सीमांकन आदेश दिनांक 21–12–2014 सहित संलग्न आवश्यक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया। यद्यपि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129. सर्वेक्षण संख्यांक या उपखंड या भू–खंड संख्यांक का सीमांकन– (1) तहसीलदार या कोई अन्य राजस्व अधिकारी जो कार्य करने के लिए सशक्त हो, किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर किसी सर्वेक्षण संख्यांक की या उपखंड या भू–खंड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन कर सकेगा और उस पर सीमा चिन्ह सन्निर्मित कर सकेगा। अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत सीमांकन आवेदन पर तहसीलदार के निर्देश के पालन में दिनांक 24–6–14 को राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन किया जिसपर पंचनामा एवं फील्डबुक तैयार की है। फील्डबुक पर सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकारों के रकबा सहित उनके भूमिस्वामियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है तथा सीमांकित भूमि के कौन–कौन भूमिस्वामी हैं, उनके हस्ताक्षर हैं, यह स्पष्ट नहीं है। 1996 आर एन 357 गीताशर्मा विरूद्ध म0प्र0 राज्य (उच्च न्यायालय) में निम्नलिखित न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किया गया है– "म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129 –	

समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का सीमांकन अपने हित के संरक्षण के लिए समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का स्वामी उचित पक्षकार है। 1995 (2) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 58 तथा 1992 (1) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 159 (उच्चतम न्यायालय) अवलंबित।"

इसी प्रकार 1998 आर एन 106 (उच्च न्याया0) में यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि – "सीमांकन हितबद्ध पक्षकार की उपस्थिति में किया जाना चाहिए।"

स्पष्ट है कि सीमांकित भूमि का सरहदी कृषक प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार होता है। इसके अतिरिक्त 2006 आर एन 218 गजराज सिंह विरूद्ध रामसिंह (उच्च न्यायालय) में निम्नलिखित न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किये गये हैं –

"म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129 – सीमांकन– विवादित सर्वेक्षण संख्यांक की पूर्णतया माप नहीं की गई–– निकट के सर्वेक्षण संख्यांक की माप नहीं की गई––कोई पैमाना प्रयुक्त नहीं किया गया––एक–भी साक्षी नामित नहीं––पटवारी द्वारा भूलें की गई और स्वीकार की गई––ऐसा सीमांकन स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसमें दूसरा पक्ष सूचित भी नहीं किया गया हो।"

1988 आर एन 105 में इस न्यायालय द्वारा भी यही अभिमत व्यक्त किया गया है कि सीमांकन लगी हुई भूमि के भूमिस्वामी को सूचना किए बिना नहीं किया जा सकता।

माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में यह निर्विवादित है कि सीमांकन हेतु प्राप्त आवेदन पर निम्नानुसार प्रकिया अपनाई जाना न्यायसंगत होगा–

1. सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकार की भूमि का नक्शा प्राप्त करना,
2. सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकारों/हितबद्ध पक्षकार को विधिवत व्यक्तिशः सीमांकन की पूर्व विहित की गई

प्रकिया के अनुसार दी जानी चाहिए। सूचना पत्र के निर्वहन के लिए अनुसूची –1 केनियम 11 से 14 में विहित प्रक्रिया के अनुसार सूचना देना,

यहां यह भी प्रासांगिक है कि हितबद्ध पक्षकार से आशय ऐसे व्यक्ति से होगा, जैसा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत 2016 आर एन 185 बाबा ज्ञानदास विरूद्ध तहसीलदार श्योपुर तथा एक अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

" भू– राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129– उपबंध के अधीन कार्यवाही रखता है – से अभिप्रेत – भूमिस्वामी या कोई व्यक्ति जो भूमि में विधिक अधिकार रखता है – हितबद्ध व्यक्ति है – व्यक्ति जो मात्र कब्जा होने का दावा करता है – हितबद्ध पक्षकार होना नहीं माना जा सकता – ऐसे व्यक्ति को सीमांकन कार्यवाहितयों में आपत्ति करने का अधिकार नहीं।

3. सीमांकन के समय स्थल पंचनामा पर सरहदी कास्तकारों एवं गवाहों के स्पष्ट हस्ताक्षर नाम सहित,

4. रूढिवादी सीमांकन पद्धति (जरीब द्वारा) के अतिरिक्त सेटलाईट से उपलब्धता के आधार पर विधिवत सीमांकित भूमि की माप कर सीमाएं समझाना,

5. सीमांकन पश्चात फील्डबुक तैयार करना,

6. सीमांकन के समय यदि कोई आपत्ति प्राप्त हुई हो तो उसका मौके पर निराकरण करना,

7. सीमांकन में यदि कोई आपत्ति प्राप्त न हुई हो तो विधिवत सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना,

8. सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उक्त सीमांकन प्रतिवेदन पर तहसीलदार द्वारा एक अवसर सहमति/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक रूप से हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान करते हुये उसका विश्लेषण कर, विधिवत सीमांकन का अंतिम आदेश पारित करना।

2014 आर एन 69 बद्री प्रसाद विरूद्ध रामप्रसाद जाटव में राजस्व मण्डल द्वारा यही अभिमत व्यक्ति किया है कि सटे हुए कृषकों को सूचना के साथ–साथ सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।

इस प्रकरण में जैसा कि आवेदक अभिभाषक ने निगरानी मेमो एवं अपने तर्कों में कहा है कि दिनांक 24–6–14 को सीमांकल दल द्वारा सीमांकन करने के उपरांत बिना किसी को सूचना दिये अगले दिन पुनः सीमांकन किया जिससे पहले किये गये सीमांकन एवं अंतिम आदेश के साथ प्रस्तुत सीमांकन में भिन्नता थी। इसके अतिरिक्त सीमांकन दिनांक 24–6–14 के पूर्ण होने के उपरांत दिनांक 21–12–14 में पुष्टि की गई है। राजस्व निरीक्षक ने लगभग 6 माह पश्चात सीमांकन की पुष्टि क्यों की गई है इसका कोई कारण आदेश में नहीं दर्शाया है। सभी सरहदी कास्तकारों को पृथक से सूचना नहीं दी गई है। पंचनामा पर सभी सरहदी कास्तकारों के हस्ताक्षर हैं इसका भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन आदेश को विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। अतः सीमांकन आदेश दिनांक 21–12–14 निरस्त किया जाकर सीमावर्ती कृषकों को पूर्व सूचना देने के उपरांत नियमों के परिपालन में विधिवत सीमांकन करने हेतु प्रकरण तहसीलदार हनु मना को प्रत्यावर्तित किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य